न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/276

मिसल नम्बर– 84/2024

1.गंगाराम मीणा आत्मज श्री माधोलाल मीणा आयु 70 वर्ष निवासी म. नं. 5/122 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.रामप्रसाद आत्मज श्री गंगाराम मीणा
2.इन्द्रेश बाई पत्नी रामप्रसाद
3.अनीश पुत्र रामप्रसाद
4.रवि पुत्र श्री रामप्रसाद
5.सुनील मीणा आत्मज श्री गंगाराम मीणा निवासीगण म. नं. 5/122 स्वामी विवेकानन्द नगर थाना आर.के. पुरम कोटा
6.सीताराम मीणा आत्मज श्री गंगाराम मीणा म. नं. 3/169 स्वामी विवेकानन्द नगर थाना आर. के. पुरम कोटा
7.गोविन्द मीणा आत्मज श्री गंगाराम मीणा निवासी लटूर पुलिस वाले का मकान बजरंग नगर बोरखेड़ा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 8/1/25

उपस्थितिः–

1.श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री केसरीलाल बैरवा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी का पुत्र तथा अप्रार्थिया क्रम 2 पुत्रवधु एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 पौत्र है तथा अप्रार्थी क्रम 5 लगायत 7 प्रार्थी के पुत्र है। प्रार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है, जो स्वयं के मकान वाके म. नं. 5/122, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा (राज.) में निवास करता है, इसी मकान में अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 भी निवास करते है। उपरोक्त मकान की परपेचुअल लीज एवं कन्वेन्स डीड एलोटी प्रार्थी के पक्ष में राजस्थान आवासन मण्डल कोटा से जारी की हुई है जो नियमानुसार उप पंजीयक कार्यालय कोटा में 02.11.2018 को पंजीबद्ध करवाये गये हैं। इस प्रकार उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित आय से क्रय एवं निर्मित सम्पत्ति है जिसका एक मात्र स्वामी प्रार्थी ही है। अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 उक्त मकान में निवास करते हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी की वृद्धावस्था एवं लाचारी का लाभ उठा कर अप्रार्थीगण पिछले कुछ समय से प्रार्थी को तंग व परेशान कर रहे हैं, उक्त मकान को वे स्वयं अपना बताने लगे है। तथा वह प्रार्थी का न तो कोई

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कहा मानते हैं और ना ही उनका सम्मान करते हैं तथा प्रार्थी की खाना–खुराक भी नहीं करते हैं तथा न ही किसी प्रकार का भरण–पोषण कर रहे हैं तथा प्रार्थी की कोई देखभाल भी अप्रार्थीगण नहीं कर रहे हैं। प्रार्थी को भरण–पोषण तक के लिये रूपये नहीं देते है, प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार करते है, गाली–गलौच करते है तथा प्रार्थी के बीमार होने पर भी प्रार्थी की कोई देखरेख सार–सम्भाल नहीं करते हैं। अपितु अप्रार्थीगण प्रार्थी पर उक्त मकान अपने नाम करवाने के लिऐ दबाव बनाते हैं, मारपीट करते हैं, अप्रार्थीगण प्रार्थी की वृद्धावस्था में बेइज्जती करते है। अप्रार्थीगण परिसर के नल–बिजली के चार्जेज भी जमा नहीं करवाते हैं। प्रार्थी उक्त मकान में किरायेदार रखना चाहता है किन्तु अप्रार्थीगण किरायेदार नही रखने देते। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को वृद्धावस्था के शेष समय को न तो शांतिपूर्ण रूप से जीने दे रहे है और ना ही कोई भरण पोषण अदा कर रहे है तथा उसका परित्याग कर दिया है, उसकी बीमारी में कोई सेवा नही करता है तथा प्रार्थी बमुश्किल काफी कठिनाइयों में प्रार्थी को अपना जीवन यापन अभाव में व्यतीत करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की खेती की जमीन जो कि ग्राम गौदल्याहेडी तथा ग्राम कैथोडी को भी मनाफा काश्त पर प्रार्थी की बिना सहमति के किसी को भी दे देते हैं। तथा उसके पैसे भी स्वयं ही लेकर हड़प कर लेते हैं प्रार्थी के मांगने पर भी नहीं देते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी को शारीरिक एवं मानसिक यातनायें दे रहे हैं तथा उक्त मकान को अपने नाम करने के लिऐ दबाव बना रहे हैं। अप्रार्थीगण का सामाजिक एवं विधिक दायित्व है कि वह प्रार्थी की इस वृद्धावस्था में भरण–पोषण करें, चिकित्सा व्यय देवे, उनकी देखभाल करें एवं उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने दें। अप्रार्थी क्रम 1 प्राइवेट कार्य करता है तथा 20,000/–रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है तथा अप्रार्थी क्रम 5 गोदरेजनुमा आलमारी बनाने की दुकान पर कार्य करता है तथा 15,000/–रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है, अप्रार्थी क्रम–6 नल फिटिंग का ठेकेदार है तथा लगभग 50,000/– रूप्ये प्रतिमाह आय अर्जित करता है तथा अप्रार्थी क्रम–7 भी आर्मी में ठेकेदार है तथा लगभग 60 से 70 हजार रूपये अर्जित करता है। प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 से 3,000/– रूप्ये प्रतिमाह तथा अप्रार्थी क्रम 5 से 3,000/–रूपये प्रतिमाह अप्रार्थी क्रम 6 से 5,000/–रूपये प्रतिमाह एवं अप्रार्थी क्रम 7 से 5,000/–रूपये प्रतिमाह इस प्रकार कुल 16,000/–रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण हैतु प्राप्त करने की अधिकारिणी है जो अप्रार्थी क्रम 1, 5 लगायत 7 का दायित्व भी है। प्रार्थी अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 से परिसर खाली करवा कर उसको किराये पर देकर उससे प्राप्त आय से अपना भरण–पोषण शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहता है क्योंकि अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 ने प्रार्थी के यहां मकान में निवास करके स्थाई न्यूसेन्स कारित किया हुआ है उसका जीवन नारकियपूर्ण कर दिया है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को उक्त परिसर नहीं रखना चाहता है तथा उनको बेदखल करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को यह आदेश दिया जावे कि वह उनके निवास वाले परिसर को खाली करके प्रार्थी को सम्भला देवें तथा प्रार्थी के शांतिपूर्ण जीवन यापन में कोई व्यवधान नहीं करें एवं उनको सम्मानजनक जीवन यापन करने देवे एवं प्रार्थी के भरण–पोषण हेतु अप्रार्थी क्रम 1 से 3,000/–रूपये प्रतिमाह तथा अप्रार्थी क्रम 5 से 3,000/–रूपये प्रतिमाह अप्रार्थी क्रम 6 से 5,000/–रूपये प्रतिमाह एवं अप्रार्थी क्रम 7 से 5,000/–रूपये प्रतिमाह इस प्रकार कुल 16,000/–रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने तथा कृषि भूमि को प्रार्थी की बिना सहमति के मुनाफा काश्त पर नही देने एवं मुनाफा काश्त की राशि को प्रार्थी को दिए जाने के आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय समझे प्रार्थी के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण नं0 1, 2, 3, 6, 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के दादा व वंशजो द्वारा ग्राम कैथोडी व गोल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में लगभग 70 बीघा करीब पैतृक शामालाती आराजी चली आ रही है जिसमे अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा निहित चला आ रहा है । उक्त कृषि आराजी को प्रार्थी गंगाराम जी ही हमेशा से ही मुनाफा काश्त पर जुपवाते चले आ रहे है तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि को हमेशा प्रार्थी स्वयं अपने पास रखते है। अप्रार्थीगण को जीवन में कभी भी कोई राशि नही दी, उक्त कृषि आराजी से प्राप्त आय से प्रार्थी द्वारा लगभग 8–10 वर्ष पूर्व मकान नम्बर 3/300, स्वामी विवेकानन्द नगर सेक्टर–3 में मकान खरीदा था जिसको विक्रय कर उससे प्राप्त राशि से प्रार्थी ने वर्तमान मकान नं0 5/22, वाके स्वामी विवेकानन्द नगर क्रय किया है वक्त क्रय अप्रार्थीगण ने भी अपनी हैसियत अनुसार उक्त मकान खरीदने में मदद की थी इस प्रकार प्रार्थी ने वाके मकान 5/22 को अपनी स्वयं की आय से क्रयशुदा मकान के झूँठे तथ्य अंकित किये है, उक्त मकान पैतृक कृषि आराजी से प्राप्त आय से खरीदा हुआ मकान है जिस पर अप्रार्थीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। गत वर्ष भी स्वयं प्रार्थी द्वारा कन्हैयालाल मीणा निवासी डाहरा ,रवि शर्मा निवासी गोल्याहेडी, देवलाल निवासी खेडली फाटक को अपनी पैतृक कृषि आराजी मुनाफा काश्त पर जुपा कर राशि प्राप्त की गई है इस प्रकार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में झुँठे, मनगढत तथ्य अंकित किये है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मकान अपनी स्वअर्जित आय से क्रय निर्मित सम्पत्ति का वर्णन मिथ्या अंकित किया है बल्कि उक्त मकान पैतृक कृषि आय से खरीदा हुआ मकान है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में तंग व परेशान करने तथा मकान को अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाने तथा मारपीट करने तथा वृद्धावस्था में बेइज्जती करने के तथ्य गलत अंकित किये है, अप्रार्थीगण ही प्रार्थी की वृद्धावस्था में सार सम्भाल करते है, भरण पोषण देते है तथा पूरे सम्मान से अपने साथ रखते है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में नल बिजली के चार्जेज जमा नही कराने के झुँठे, बेबुनियाद अप्रार्थीगण के उपर लगाये है बल्कि अप्रार्थीगण ही नल बिजली के चार्जेज जमा करते है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त मकान खाली करने का अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण के निवास स्थान के लिए अन्य कोई विकल्प नही है, अप्रार्थीगण की पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा अन्य सदस्य उक्त मकान में निवास करते है अगर प्रार्थी आपने मनसूबे में कामयाब हो जाता है तो अप्रार्थीगण के रहने का कोई आश्रय नही बचेगा तथा अप्रार्थीगण रोड पर आ जायेगे तथा अप्रार्थीगण के भूखे मरने की नोबत आ जायेगी तथा प्रार्थी उक्त मकान को बेचने के अपने मनसूबो में कामयाब हो जायेगा इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध आये दिन झूठे, मनगढंत, मिथ्या कथनों के आधार पर मुकदमे दर्ज करवाये जा रहे है ताकि इनसे परेशान होकर अप्रार्थीगण उक्त मकान को खाली कर दे जबकि अप्रार्थीगण पूरे मान सम्मान के साथ प्रार्थी का भरण पोषण, ईलाज आदि की व्यवस्था एवं देखरेख करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मकान अपने नाम करवाने के अनर्गल आरोप लगाये है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से कभी भी मकान अपने नाम करवाने को कहा और ना ही दबाव बनाया है। अप्रार्थी कम 1 अपने एवं परिवार के जीवनपार्जन के लिए बेलदारी करता है जिससे अपना स्वयं का परिवार जिसमे पुत्र, पुत्री व पत्नी है। जिसका गुजारा भी बडी मुश्किल से चला पाता है। इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 6 भी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसमे अपने परिवार का गुजारा बडी मुश्किल से चला पा रहा है तथा अप्रार्थी क्रम 7 भी प्राईवेट मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा है जिनके स्वयं के अपने परिवारों का गुजारा भी बडी मुश्किल से हो रहा है जबकि प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि आराजी से होने वाली आय तथा कृषि आराजी पर ऋण लेकर उसकी आय को स्वयं उपभोग कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रहा है जबकि अप्रार्थीगण आर्थिक, शारीरिक व मानसिंक रूप से कमजोर हो चुके है चूँकि प्रार्थी आये दिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध तरह तरह के हथकण्डे अपना कर इंठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर मुकदमे दर्ज करवाता रहता है जिससे अप्रार्थीगण का मेहनत मजदूरी व काम धन्धे में मन नही लगता है। परिवार में अशान्ति का माहोल बनाये रखने के कारण बच्चों पर भी विपरीत असर पड रहा है वह भी पढाई आदि नही कर पा रहे है इससे उनका जीवन भी बरबाद होने की कगार पर है। प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 1, 2, 3 व 7 के नाम का राशन भी स्वयं लेकर आता है उसको भी अप्रार्थीगण को नही देता है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान कर रखा है तथा प्रार्थी अडौस पडौस के व्यक्तियों से भी लड़ाई झगडा आदि करता है जिससे परिवार में अशान्ति का माहोतल रहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण नं0 4 व 5 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने के कारण अप्रार्थीगण नं0 4 व 5 का नाम डिलीट किया गया।

उभयपक्ष की ओर से बहस में अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित म. नं. 5/122 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण से भरण पोषण राशि दिलाये जाने का भी निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम कैथोडी व गोल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में लगभग 70 बीघा करीब पैतृक शामालाती आराजी चली आ रही है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा निहित चला आ रहा है। उक्त कृषि आराजी को प्रार्थी गंगाराम जी ही हमेशा से ही मुनाफा काश्त पर जुपवाते चले आ रहे है तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि को हमेशा प्रार्थी स्वयं अपने पास रखते है। अप्रार्थीगण का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। जिस कारण से प्रार्थी के पास मुनाफा राशि के रूप में पर्याप्त स्रोत मौजूद है। अतः अप्रार्थीगण से मासिक राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करें, बाहरी असामाजिक तत्वों को घर में लाकर न्यूसेंस उत्पन्न नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 9/1/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा